न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 50/2024

वादी :-
विकास जोशी पुत्र बाबुलाल जोशी जाति ब्राहमण निवासी टयूबवेल के सामने की गली, सोजत मार्ग पाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. हरिसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. सीतादेवी पुत्री स्व. मोहनसिंह पत्नी रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सिलारी तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
3. नरेन्द्र सिंह पंवार पुत्र प्रेम सिंह पंवार
4. रतनसिंह पंवार पुत्र प्रेम सिंह पंवार
5. अजीतसिंह पंवार पुत्र प्रेमसिंह पंवार
6. ज्योति पुत्री प्रेमसिंह पंवार जातियान रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम बाडाकलां, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री जी एल कंसारा, श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -7 सरकारी पैरोकार।

दिनांक :- 21/07/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 132 रकबा 3.3088 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसके खाता सं. चालू जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार 801 तथा पुराने खाता संख्या 720 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 1/2 वों हिस्सा है। उपरोक्त खसरा की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदारी रूकमणी पत्नी मोहनसिंह का देहान्त हो चुका है, जिसके उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र, प्रतिवादी संख्या 2 पुत्री व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 दोहिते/दोहिती है। इनके अलावा मृतक खातेदार रूकमणी के अन्य कोई विधिक वारिस नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है व काश्त कर रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 16.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही अपने नाम मृतक खातेदार रूकमणी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाकर वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान करने पर आमादा है तथा वादी को धमकी दी कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि का अन्य अजनबी व्यक्ति को पड़ौस दर्शाते हुए करके रहेंगे। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कहा कि आप बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादी की बात को न मानकर वादी को एलानिया कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 16.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उनके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही करने की समझाईश करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादी की बात को न मानकर उल्टा वादी को इस आशय की एलानिया धमकी देने पर की वो उनके हिस्से की भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व बिना वादी की सहमति के अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे तथा आज दिन तक विधिवत् बंटवाड़ा हेतु सहमत नही होने पर वादकारण बमुकाम ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार बनाया है जो भूमि धारक है। जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए वाद से पूर्व दिये जाने वाला नोटिस प्रतिवादी संख्या 7 को दिया जाना अपेक्षित नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से तथा दावा बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 132 रकबा 3.3088 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में स्थित वादी के 1/2 व० हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करें तथा न ही अन्य किसी से करावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 6 से दिलाया जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 16.04.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम चांदेलाव की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 132 रकबा 3.3088 हैक्टयर में

वादी के 1/2 वां हिस्से का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्ट)
1	विकास जोशी पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण सा. देह सोजत सिटी(पाली) खातेदार	132	1.6544
	कुल खसरा	1	1.6544
2	अजीतसिंह पंवार पुत्र प्रेमसिंह 1/12 जाति रावणा राजपूत ज्योति कंवर पुत्री प्रेमसिंह 1/12 जाति रावणा राजपूत नरेन्द्रसिह पुत्र प्रेमसिंह 1/12 रतनसिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/12 सीता पुत्री मोहनसिंह 1/3 हरिसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/3 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	132	1.6544
	कुल खसरा	1	1.6544

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.05.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 03.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
विकास जोशी हरीसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- **50/2024**

निर्णय **दिनांक** :- 21/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री जी एल कंसारा व श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या- 1 से 6- के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -7 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 03.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह-सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक-की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा